To Restrict the Movements of Over Loaded Vehicles

*27 SMT. RENU BALA (Sadhaura): Will the Transport Minister be pleased to state that:- Will the Transport Minister be pleased to state the reasons for which the Government has not been able to restrict the movements of overloaded vehicles in State?

MOOL CHAND SHARMA

TRANSPORT MINISTER

Sir, The State Government is committed to restrict the operation of overloaded vehicles in the State. Checking of such vehicles is an ongoing process as part of which overloaded vehicles found plying are being vigorously challaned by the enforcement agencies. During the current financial year (1st April, 2022 to 31st July, 2022), a total of 15751 overloaded vehicles have been challaned and a composition fee/penalty of Rs. 66,48,36,100/- crore has been collected.

अतिभारित वाहनों की आवाजाही को प्रतिबन्धित करना

*27 श्रीमती रेनू बाला (साढौरा): क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में अतिभारित वाहनों की आवाजाही को प्रतिबन्धित करने में सरकार के सक्षम न होने के कारण क्या हैं?

मूल चन्द शर्मा

परिवहन मन्त्री

श्रीमान जी, राज्य में ओवरलोड वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे वाहनों की जांच एक अविरत प्रक्रिया है, जिसके तहत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ओवरलोड वाहनों का सख्ती से चालान किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष (1 अप्रैल, 2022 से 31 जुलाई, 2022) के दौरान कुल 15751 ओवरलोड वाहनों का चालान किया गया है और रु. 66,48,36,100/- करोड की प्रशमन /जुर्माना राशि वसूल की गई है।